कोटा में 46 कलाकारों के साथ हेमा मालिनी ने दुर्गा सप्तशती नृत्य प्रस्तुत किया

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय दशहरा मेले में प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और सांसद पद्मश्री हेमा मालिनी ने अपनी शानदार नृत्य कला से सबका मन मोह लिया। हेमा मालिनी ने गुरुवार को मेला उदघाटन के अवसर पर विजयश्री रंगमंच पर दुर्गा सप्तशती पर आधारित नृत्य नाटिका श्दुर्गाश् का मंचन किया। नृत्य नाटिका और महिषासुर मर्दिनी रूप की प्रस्तुति ने विजयश्री रंगमंच के सामने बैठे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

हेमा मालिनी ने नृत्य नाटिका की शुरुआत शिव सती कथा से की जिसमें सती का किरदार निभाते हुए उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रेम, भक्ति व रौद्र रस के भावपूर्ण नृत्य मंचन ने दर्शकों का मन मोह लिया। दशहरा उदघाटन पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में हेमा मालिनी की प्रस्तुति देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दर्शकों ने बीच-बीच में दुर्गा मैया की जय का उद्घोष कर कलाकारों में ऊर्जा भरने का काम किया। हेमा मालिनी ने साथी कलाकारों के साथ शिवदुर्गा नृत्य नाटिका की ऐसी प्रस्तुति दी कि मानो मेला प्रांगण में उनके स्वरूप में मां दुर्गा अवतरित हो गई हों। यहां प्रस्तुत नृत्य नाटिका में उन्होंने मां दुर्गा और सती के साथ कई रूपों में प्रेम, भक्ति और रौद्र रस का भावपूर्ण मंचन किया। हेमा मालिनी ने साथी कलाकारों के साथ शिव सती कथा, शिव तांडव, बम लहरी, शिव पार्वती विवाह, नमस्तस्यै की प्रस्तुति दी। हेमा ने साथ आए 46 से अधिक कलाकारों के दल के साथ नृत्य, भाव भंगिमा, दैहिक अभिनय तथा संवाद की प्रस्तुति दी। नृत्य के दौरान भक्ति संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। जिसमें नवदुर्गा स्वरूप, चंडी रूप धारण, महाकाली रूप, महिषासुर मर्दिनी, सिंह सवार दुर्गा समेत विभिन्न मंचन हुए। जबरदस्त अभिनय देखकर दर्शक अभिभूत नजर आए।

कोटा में अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी ने दुर्गा सप्तशती पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया।

■ हेमा मालनी की प्रस्तुति देखने भारी भीड़ उमड़ी

131वां मेला दशहरा का भव्य उद्घाटन ऐतिहासिक बन गया। पहली बार मेले के उदघाटन में भरी भीड़ उमड़ी। लोग दिन से ही आकर बैठ गए थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान टकटकी लगाए टिके रहे। लंबे समय बाद कोटा आई अभिनेत्री हेमा मालिनी के अभिनय को देखने के लिए भारी जन समूह उमड़ा। लोग हेमा मालिनी की एक झलक देखने को आतुर नजर आए। इस दौरान विजयश्री रंगमंच चारों ओर से भरा हुआ नजर आया।

मेले के उद्घाटन के अवसर पर भारी भीड़ को चलते पहले दिन से ही झूले चकरी वालों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। वहीं चाट, पकौड़ी, सॉफ्टी की दुकानों पर भी लोगों की भीड जमी रही। इससे व्यापारियों को भी अच्छा लाभ हुआ।

राव सूरजमल हाड़ा की छतरी का पुनर्निर्माण होगा, शिलान्यास किया

कोटा, (निसं)। बूंदी के पूर्व राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को एयरपोर्ट निर्माण के लिए कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते महीने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में ही छतरी को लेकर विरोध शुरू हो गया था। राजपूत समाज के साथ-साथ सर्व समाज भी इस विरोध में उतर गया था। इस छतरी के पुनर्निर्माण की मांग उठने लगी थी। इस पर गुरुवार रात को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में कोटा जिला प्रशासन और राजपूत नेताओं की बैठक हुई। जिसमें छतरी को दोबारा उसी स्थान पर स्थापित करने पर सहमति बन गई थी। जिसके बाद पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया गया। यह कार्यक्रम पूरे विधि-विधान से शुक्रवार दोपहर 12.15 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में कोटा के पूर्व महाराव इज्यराज सिंह, बूंदी पूर्व राज परिवार से जुड़े वंशवर्धन सिंह, छतरी के मामले में आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूर्व ब्रिगेडियर भूपेश हाड़ा व कोटा पूर्व राज परिवार के जयदेव सिंह सहित कई राजपूत नेता मौजूद रहे। गुरुवार को हुई बैठक में स्पीकर बिरला ने कहा था कि धरातल पर कार्रवाई के समय प्रशासन को संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए और सर्व समाज की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। छतरी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समाज की भावना के अनुरूप इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में हाड़ौती के इतिहास से जुड़े पैनोरमा, पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा की प्रतिमा बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।

OFFICE OF THE GRAM PANCHAYAT CHHIPABAROD
PANCHAYAT SAMITI CHHIPABAROD

Sr. No. 504-507 Date : 02.10.24

Notice Inviting Bid

Bids for works are invited from interested bidders up to 13.10.2024 at 6.00 PM other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (httpp://sppp.raj.nic.in, httpp://eproc.raj.nic.in) of the state.
UBN- ZBR2425WSRC00497, 499

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद, पं.स. छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
सरपंच, ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद, पं.स. छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2024/548 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.10.24

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना बालाजी मार्केट व्यवसायिक का भूखंड/आवास संख्या 618 का आवंटन/नीलामी न्यास के पत्र दिनांक 11.09.2023 को श्रीमती द्वारिका परिहार पत्नी श्री दिनेश सिंह को आवंटन किया गया था। उक्त आवास की रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्रीमती ममता कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र आर्य द्वारा चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड/आवास संख्या 618 योजना बालाजी मार्केट व्यवसायिक की रजिस्ट्री स्वीकृति श्रीमती द्वारिका परिहार पत्नी श्री दिनेश सिंह जर्ये मुख्तारआम श्रीमती ममता कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र आर्य के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

भगत सिंह जयंती पर युवाओं ने वाहन रैली निकाली

कोटा, (निसं)। शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर शहर के नवयुवकों द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई। क्षार बाग से प्रारम्भ हुई इस रैली का समापन शहीद स्मारक पर हुआ।

रैली में आये युवाओं को सम्बोधित करते हुए वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अबू बकर नकवी ने कहा कि शहीद भगत सिंह ने मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में ही देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया था। उनके मन में मातृभूमि की सेवा और रक्षा का जो जज्बा था वो आज देश के हर युवा में जगाने की जरूरत है।

प्रत्येक युवक में राष्ट्रवाद की आग फूंकने की जरूरत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सह संयोजक इरशाद अली जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रवाद की राह पर चलते हुए भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है और विश्व पटल पर मां भारती को गौरव दिलाया है उसी प्रकार आगामी समय में भी ऐसे राष्ट्रभक्त नागरिकों की जरूरत होगी जो राजनीति, व्यापार, रक्षा, नीति के क्षेत्र में काम करते हुए देश को मजबूत बनायेंगे।

इसीलिए नवयुवकों में हमारे शहीदों के क्रांतिकारी विचारों का बीजारोपण किया जाना चाहिए। रैली का आयोजन मनीष घेंघट, धीरज गोयल, विशाल वाल्मिकी द्वारा किया गया।

रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ का मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह प्रारम्भ

कोटा, (निसं)। रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का शुभारंभ राजकीय पोलोटेक्निक कोलेज में शुक्रवार को एक सेमिनार कर किया गया। स्वागत भाषण में क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया एवं बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्लब निरंतर सामाजिक सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मनोचिकित्सक एवं काउंसलर डॉ.एम.एल. अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में लगभग 70 प्रोफेसर एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। क्लब के वरिष्ठ सदस्य डॉ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि आज से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का शुभारंभ किया गया है साथ ही उन्होंने बताया कि जीवन में मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्यों आवश्यक है एवं इस वर्ष की थीम भी कार्य स्थल पर मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में जिस तरह से लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं, वह सभी किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से परेशान हैं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें नियमित व्यायाम, पर्याप्त मात्रा में नींद एवं खुश रहना चाहिए। हैलपलाईन के डॉ. अविनाश बंसल ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें छात्र छात्राओं ने भाग लिया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सचिव गौरव सूद ने सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में अमित सिंघल, विनोद ममगई, चंचल पारेता, भास्कर गोयल, होप हैलपलाईन के मीडिया प्रभारी सुधिन्द्र गौड़ भी उपस्थित रहे।

■ राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज में स्टूडेंटों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी दी

कोटा में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम को डॉ.एम.एल. अग्रवाल ने संबोधित किया।

सांस्कृतिक संध्या आज

कोटा, (निसं)। अग्रसेन जयंती समारोह 2024 के तहत अग्रवाल समाज सेवा संस्था विज्ञान नगर की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष सुनील गर्ग एवं महासचिव सुरेश अग्रवाल ने बताया कि संस्था द्वारा 5 अक्टूबर 2024 शनिवार को सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया जायेगा। विशिष्ट परीक्षाओं आईआईटी, एनआईआईटी, नीट में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी, पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। सीए, सीएस, इत्यादि में सफल रहने वाले विद्यार्थी। यूनिवर्सिटी व बोर्ड की मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले विद्यार्थी एवं उइरए बोर्ड 10वीं एवं 12वीं में 90 प्रतिशत से ऊपर वाले विद्यार्थी, राज. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं एवं 12वीं में 85 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थी। खेलकूद व अन्य राष्ट्रीय तथा प्रांतीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2481 **विज्ञप्ति** दिनांक:-04.10.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना सुमन विहार भूखंड संख्या ए-12 खसरा नं. 235 आवेदक/आवेदिका श्री भाग चन्द गोधा पुत्र श्री केसरी मल गोधा निवासी म.नं. 5 गली नम्बर 1 रोडवेज डीपो के पीछे वर्धमान कालोनी भीलवाड़ा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 7710 दिनांक 23.04.2010 को श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री करुण कुमार श्रीवास्तव के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2010 को श्री कमलकान्त चतुर्वेदी पुत्र श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी को किया गया था। क्रेता कमलकान्त चतुर्वेदी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2024 को जर्ये मुख्तारआम महावीर कुमार जैन पुत्र श्री मिश्री लाल द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री भाग चन्द गोधा पुत्र श्री केसरी मल गोधा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-11/विक्रय/2024/1302 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.10.24

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास संख्या 23 द्वारा वीर सावरकर नगर आवासीय कम व्यावसायिक योजना में श्रीमती शारदा अग्रवाल पत्नी श्री बृजेश अग्रवाल को आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 730 दिनांक 05.01.1995 को किया गया। श्रीमती शारदा अग्रवाल पत्नी श्री बृजेश अग्रवाल द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री मनीष पाठक पुत्र श्री पीएन पाठक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 2665 दिनांक 26.04.1999 से श्रीमती मालती पाठक पत्नी श्री पीएन पाठक को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्रीमती मालती पाठक द्वारा क्रमांक 687 दिनांक 30.01.2003 से श्रीमती उत्तमजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह वल्लभ बाडि वालों को मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। अत: क्रेता द्वारा नियुक्त मुख्तारआम द्वारा उक्त भूखंड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 23 योजना वीर सावरकर नगर आवासीय कम व्यावसायिक का नाम हस्तान्तरण जर्ये मुख्तारआम श्रीमती मालती पाठक पत्नी श्री पीएन पाठक के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा (उत्तर)

क्रमांक:ननिको(उ)/जोन प्रथम/डी.टी.पी./2024/7312-13
दिनांक 04-10-2024

-:: सार्वजनिक विज्ञप्ति ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक को श्री रमेश अग्रवाल पुत्र श्री राम जी लाल एवं श्रीमती सीता अग्रवाल पत्नी श्री रमेश अग्रवाल निवासी 52-57 वल्लभवाड़ी कोटा राजस्थान द्वारा कुल क्षेत्रफल 2700 वर्ग फीट में से 1575 वर्ग फीट की उप-विभाजन की कार्यवाही की जा रही है उक्त भूखंड का उप-विभाजन करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखंड से संबंध रखता है को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रूप से अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भूपेश मालव (उपनगर नियोजन, नगर निगम कोटा-उत्तर)

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा अपना पुराना नाम प्रमोद गौतम से बदलकर प्रमोद कुमार गौतम रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाएं, पता-1266 A आरके पुरम कोटा राजस्थान

खोया-पाया

मेरे मकान संख्या 1-ज-40 केशवपुरा का मूल आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र कही खो गया है मिलने पर सम्पर्क करें।

राजेन्द्र कुमार
9414266192

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 68/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रोहित दाधीच पुत्र श्री शिव प्रसाद दाधिच निवासी प्लाट नं. 214 बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत प्रन्यास युवा कौशल विकास परिषद प्लाट नं. 462 प्रथम तल आईसीआईसीआई बैंक के आगे मोदी कालेज रोड कोटा के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 27.11.2024 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3724 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 04.10.24

आवास संख्या 3-ए-51 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी श्री किशन गोपाल मीणा को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री मुरली लाल माथुर पुत्र श्री दुर्गा लाल के नाम दिनांक 15.02.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री मुरली लाल माथुर पुत्र श्री दुर्गा लाल द्वारा दिनांक 27.03.1999 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री मुरली लाल माथुर पुत्र श्री दुर्गा लाल की मृत्यु दिनांक 06.12.2014 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती विमला माथुर पत्नी स्व. श्री मुरली लाल माथुर द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र आलेखित कर दिनांक 08.07.2024 को श्री आलोक माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर एवं श्री अविनाश माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर के पक्ष में संयुक्त रुप से किया गया। श्री आलोक माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर एवं श्री अविनाश माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-ए-51 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड के आधार पर श्री आलोक माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर एवं श्री अविनाश माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री आलोक माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर एवं श्री अविनाश माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री आलोक माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर एवं श्री अविनाश माथुर पुत्र स्व. श्री मुरली लाल माथुर के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3583 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.9.24

आवास संख्या 3-सी-34 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री गिरराज प्रसाद सोनी पुत्र श्री रामनिवास सोनी को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री कन्हैयालाल सोनी पुत्र श्री श्रीनिवास सोनी के नाम दिनांक 15.02.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री कन्हैयालाल सोनी पुत्र श्री श्रीनिवास सोनी के नाम दिनांक 30.03.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कन्हैयालाल सोनी पुत्र श्री श्रीनिवास सोनी की मृत्यु दिनांक 09.02.2012 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती ममता देवी पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी एवं श्री प्रमोद कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये हक त्याग पत्र आलेखित कर दिनांक 21.04.2014 को श्री विनोद कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी के पक्ष में किया गया। श्री विनोद कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-सी-34 दादाबाड़ी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र के आधार पर श्री विनोद कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विनोद कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विनोद कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल सोनी के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/11267 दिनांक: 4.10.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विष्णु दत्त ग्वालेरा पुत्र श्री रामस्वरुप ग्वालेरा निवासी भूखंड संख्या 146-ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 146-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 2700 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 146-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 2700 का पंजीयन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 190 दिनांक 22.04.1985 से श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री चन्द्रमोहन त्रिपाठी के नाम करवाया गया। श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.1985 से श्रीमती फूला बाई पत्नी श्री रामस्वरुप को विक्रय कर दिया। श्रीमती फूला बाई ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 24.04.2024 से उक्त भूखंड की वसीयत श्री विष्णु दत्त ग्वालेरा पुत्र श्री रामस्वरुप ग्वालेरा के नाम कर दी। श्रीमती फूला बाई का देहावसान दिनांक 30.08.2024 को हो जाने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/11226 दिनांक: 4.10.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शंकर लाल खत्री पुत्र स्व. श्री हीरा लाल निवासी भूखंड संख्या 2-बी न्यू कालोनी गुमानपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 2 एल.आई.जी.एच. गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट में से 1437.50 वर्गफुट भाग, जिसके पूर्व दिशा में भूखंड संख्या 02 का विक्रित भाग एवं रोड 30 फुट चौड़ा, पश्चिम दिशा में रोड 30 फुट चौड़ा, उत्तर दिशा में भूखंड संख्या 1 तथा दक्षिण दिशा में भूखंड संख्या 3 स्थित है, का उपविभाजन स्वीकृत कर स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 2 एल.आई.जी.एच. गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा द्वारा श्री हीरा लाल पुत्र श्री मोटन सिंह को किया गया। श्री हीरा लाल ने उक्त भूखंड का पूर्वी भाग क्षेत्रफल 562.5 वर्गफुट श्री बन्सी लाल पुत्र श्री टेऊ मल को विक्रय कर दिया। श्री हीरा लाल का देहावसान दिनांक 05.08.2022 को हो जाने के उपरांत श्री हीरा लाल के विधिक वारिसान श्री सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री हीरा लाल ने उक्त शेष भूखंड क्षेत्रफल 1437.50 वर्गफुट में से जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 21.02.2024 से स्वयं का हक श्री शंकर लाल खत्री पुत्र स्व. श्री हीरा लाल के पक्ष में त्याग दिया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के आवेदित भाग का उपविभाजन स्वीकृत कर स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड के आवेदित भाग का उपविभाजन स्वीकृत कर स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त मूल भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

युवक की मौत पर परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया

कोटा, (निसं)। शहर में एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई हो गई है। युवक शाम को चिकित्सक को दिखाने गया था जहां पर ही उसने दम तोड़ दिया।

इसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने चिकित्सक पर ही गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा दिया। सामने आ रहा है कि युवक की चार से पांच दिन पहले से तबीयत खराब थी। परिजनों ने चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

साथ ही पुलिस को शिकायत दी है। मकबरा थाना अधिकारी वासुदेव सिंह का कहना है कि इस मामले में मर्ग दर्ज कर लिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और तब ही कुछ खुलासा हो पाएगा। मृतक 19 वर्षीय तपन शर्मा किशोरपुरा इलाके में रहता था। मृतक युवक के रिश्तेदार कौशल का कहना है कि तपन की तीन-चार दिनों से तबीयत खराब थी।

उन्होंने आरोप लगाया है की तपन गुरुवार रात को 8.00 बजे के करीब पाटनपोल की क्लीनिक पर दिखाने गया था। चिकित्सक ने कुछ इंजेक्शन लिखे थे जिन्हें वह पास के मेडिकल से लेकर आए थे। इसके बाद इंजेक्शन उसके लगाए गए और 5 मिनट में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई व शरीर नीला पड़ गया। बाद में क्लिनिक पर ही उसकी मौत हो गई।

मामले में सामने आ रहा है कि युवक को बीते 4 से 5 दिनों से बुखार था और वह मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीद कर खा रहा था। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसने जांच करवाई थी इसके बाद ही वह पाटनपोल स्थित चिकित्सक को दिखाने गया था। जहां पर ही उसको इंजेक्शन लगाया गया और इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई।

नगर निगम कोटा दक्षिण बोर्